

Variable dearness allowance payable in 74 scheduled employments under the Minimum Wages Act, 1948 Minimum Wages Act, 1948 under the Minimum Wages Act, 1948, Rajdhani No.-194/36-3-2014-07 (New 30)/4 dated: 28-1-2014 by 59 and notification number-850/36-03-2019 -931 (New 30)/06 dated: 30 September 2019, the basic rates of wages and variable dearness allowance have been fixed for the workers employed in 15 scheduled employments. The daily rate of the rates of wages which have been fixed on monthly basis will not be less than 1/26 of the basic wages and variable dearness allowance and the hourly rate will not be less than 1/6 of the daily rate.

In continuation of the above, for the employees employed in the following 74 employments, the variable dearness allowance will be payable for the period from 1-10-2025 to 31-3-2026 on the average score of 414 for the period January 2025 to June 2025 over the average score of 216 for the All India Consumer Price Index base year (2001=100) months July 2012 to December 2012, after calculating it as per the following illustration:-

Example: The variable dearness allowance for the period from 1-10-2025 to 31-3-2026 for unskilled category employees earning Rs. 5750/- per month on the average consumer price index-414 will be as follows.

(414-216)

.....X5750= 50-5271/- per month

216

Monthly and daily wage rates of basic wages, variable dearness allowance, etc. payable to different categories of employees.

cumock	Category	basic wages per month in rupees	Date: Total wages (in Rs.) from 1.04.2025 to 30.9.2025	Variable Dearness Allowance in Rs. Date: 1.10.2025 to 31.3.2026	Date: 1.10.2025 to 31.3.2026	
					Total wages (in Rs.) (3+5)	Daily wages (in Rs.) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	unskilled	5750	10994.21	5271	11021	423.88
2	Semi-skilled 6325		12093.63	5798	12123	466.26
3	efficient 7085		13546.78	6495	13580	522.30

2 The wages of workers employed in brick kiln industry are as follows:-

cumock	Category	Date: 1.10.2025 to 31.3.2026		
1	unskilled	Minimum wages will be payable as per clauses 1 and 3 of the above table.		
2	skilled			
3	Pathera	basic wages Rs-365	Variable Dearness Allowance in Rs. Rs-335	Total wages (in Rs.) Rupee-700/- per thousand
	stuffer (1) Up to 500 metres (2) More than 500 metres	Rs.-110 Rs.-132	Rs-101 Rs-121	Rupee-211/- per thousand Rupee-253/- per thousand
4	Withdrawal	Rs-110	Rs-101	Rupee-211/- per thousand

- 1 Rubber factories and rubber products (including tyres and tubes) industries.
- 2 Plastics industry and plastic products industry
- 3 Confectionery industry.
- 4 Manufacturing of Vasisit Peyo (Aerated Drinks).
- 5 Fruit juice manufacturing plant.
- 6 Plywood industries.
- 7 Petrol and diesel oil pump.
- 8 Dairy and Milk Dairy.
- 9 Readymade garments manufacturing plant.
- 10 of dam embankments, irrigation projects, digging of wells and ponds.
- 11 Employment in all registered factories not mentioned earlier. Construction and maintenance
- 12 Private hospitals (nursing homes), private clinics and private medical supply shops.
- 13 Foundry house.
- 14 Metal Industry.
- 15 Tin plate shopping and tin printing.
- 16 Engineering industries employing less than 50 persons.
- 17 Tannery and leather manufacturing plant.
- 18 Leather goods manufacturing industry.
- 19 Hosiery action.
- 20 Private Library.
- 21 Woodworking and furniture industries.
- 22 Private coaching classes, private schools, including nursery schools and private technical institutions.
- 23 Tobacco manufacturing.
- 24 Hospice.

- Forestry Logging and wood work, which also includes collection of any other forest produce and taking it to the market.
- 25 in 26 stores
in 27 commercial establishments.
- 28 Rice mill, flour mill or pulse mill.
- 29 oil mills.
- 30 public meter transport.
- 31 Mechanical Transport Workshop.
- 32 Automobile Repair Workshop.
- 33 Construction operations involving construction or maintenance of roads.
- 34 Breaking stones or crushing stones.
- 35 Chicken Tasks.
- 36 Match Industry.
- 37 Ice candy/ice cream manufacturing plants.
- 38 Bakery and Biscuit Manufacturing.
- Ice manufacturing plant.
- 39 Asbestos cement factories and other cement product manufacturing units.
- 40 41 Laundry and washing establishments.
- 42 Binding.
- 43 Cold storage.
- 44 Pottery, ceramics or refractories.
- 45 private presses.
- Cinema industry.
- 46 47 Textile printing.
- 48 Sewing industry.
- 49 Allopathic, Ayurvedic, Unani Pharmacy.
- club
- 50 51 Handloom (silk saree weaving) zari works.
- 52 Manufacture of laundry or cosmetic soaps or silicates or soap powders or detergents.
- 53 woolen blanket manufacturing establishments
- 54 Khandsari.
- 55 Handloom Industry.
- 56 Power loom industries.
- 57 Manufacture of miniature bulbs and glass products.
- 58 Paper, cardboard and paper board industries.
- 59 Brick Kiln Industry.
- 60 in planning of lock industry.
- 61 Planning for manufacturing of brass utensils and brass products.
- 62 Security personnel (security personnel) employed in any private security and service providing agency, which includes armed/unarmed personnel
63 etc. Employment in sweeping and cleaning, including employment of sweepers and construction of dry latrines (Prohibition) Act, 1993 is prohibited.
Activities are not included.
Employment of 64 domestic workers.
- 65 Employment in computer hardware industry and services.
- 66 Employment in LPG distribution and related services.
- 67 Employment in taxis, autorickshaws/tempo and traveling agencies.
- 68 Employment in cable operators and related services.
- 69 Employment in Non-Government Organization (NGO) and related services.
- 70 Employment in sales promotion (in any industries included or to be included under the Sales Promotion (Conditions of Service) Act 1976).
in 71 hair coloring salons and beauty parlors (men and women).
Employment in 72 corporate offices.
- 73 Employment in call center / IT industries / telecalling services etc.
- 74 Employment in such establishments which are not covered under any scheduled employment.

(Markandeya Shahi)

Labor Commissioner, Uttar Pradesh.

Office of the Labor Commissioner, Uttar Pradesh, GT Road, Kanpur.

number 386

Enforcement-(MW) / 15

Date: 29/09/2025

- 1 Sent to all Regional Additional/Deputy Labor Commissioners of Uttar Pradesh with the intention to inform the subordinate officers and to inform the workers, employers and their
Make available when requested by representatives.
- 2 Secretary, Uttar Pradesh Government, Labor Section-3, Bapu Bhawan, Lucknow.
- 3 Assistant Director, Ministry of Labor and Employment (Wage Cell), Government of India, New Delhi through e-mail wagecell@nic.in
- 4 Executive Director Udyog Bandhu, Lucknow.
- 5 Deputy Labor Commissioner (IR), Headquarters, Kanpur.
- 6 Deputy Labor Commissioner (Computer), Headquarters to send it to all regional Additional/Deputy Labor Commissioners through email and on the departmental website.
For uploading on www.uplabour.gov.in.
- 7 Sent to Shri Himanshu Kumar, Librarian, Headquarters for records.
- major daily newspapers are published free of cost in public interest for the information of the general public.

(Markandeya Shahi)

Labor Commissioner, Uttar Pradesh.

Digitally signed by
MARKANDEYA SAHI
Date: 26-09-2025
13:44:34

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या-194/36 -3-2014-07 (न्यू0वे0)/4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03 -2019 -931(न्यू0वे0)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जनवरी 2025 से जून 2025 के औसत अंक 414 पर दिनांक: 1-10-2025 से 31-3-2026 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त-रूपये 5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-414 पर दिनांक: 1-10-2025 से 31-3-2026 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(414-216)

.....X5750= ₹0-5271/-प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें।

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रुपये में	दिनांक:1.04.2025 से 30.9.2025 तक कुल मजदूरी (रुपये में)	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता ₹0 में	दिनांक:1.10.2025 से 31.3.2026 तक	
				दिनांक:1.10.2025 से 31.3.2026 तक	कुल मजदूरी (रुपये में)	दैनिक मजदूरी (रुपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	10994.21	5271	11021	423.88
2	अर्धकुशल	6325	12093.63	5798	12123	466.26
3	कुशल	7085	13546.78	6495	13580	522.30

2 ईट भट्टा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् है:-

क्रमांक	श्रेणी	दिनांक:1.10.2025 से 31.3.2026 तक
1	अकुशल	उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा
2	कुशल	
		मूल मजदूरी परिवर्तनीय महंगाई भत्ता ₹0 में कुल मजदूरी(रुपये में)
3	पथेरा	₹0-365 ₹0-335 रुपया-700/- प्रति हजार
	भराईवाला	
	(1) 500 मीटर की दूरी तक	₹0-110 ₹0-101 रुपया-211/- प्रति हजार
	(2) 500 मीटर से अधिक	₹0-132 ₹0-121 रुपया-253/- प्रति हजार
4	निकासी वाला	₹0-110 ₹0-101 रुपया-211/- प्रति हजार

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और टयूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
- मिष्ठान उद्योग।
- वासित पेयों(एरोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी(प्लाइवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
- डेरी और मिल्क डेरी।
- सिल सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
- बॉथ तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
- ढलाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शॉपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माणशाला।
- चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी सकर्म।
- निजी पुस्तकालय।
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं।
- तम्बाकू विनिर्माण।
- धर्मशाला।

- 25 वानिकी(फारेस्ट्री) लट्टा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
 26 दुकानों में।
 27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
 28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
 29 तेल मिल।
 30 लोक मीटर परिवहन।
 31 यंत्रिक परिवहन कर्मशाला।
 32 आटोमोबाइल रिपेयर कर्मशाला।
 33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संक्रियाओं।
 34 पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
 35 चिकन के कार्य।
 36 दियासलाई उद्योग।
 37 आइसक्रीम/आईसक्रीम विनिर्माणशाला।
 38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
 39 बर्फ विनिर्माणशाला।
 40 एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
 41 लाण्ड्री और धुलाई अधिष्ठान।
 42 जिल्दसाजी।
 43 कोल्ड स्टोरेज।
 44 पाटरी, सिरेमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
 45 निजी मुद्रणालय।
 46 सिनेमा उद्योग।
 47 कपड़ा छपाई।
 48 सिलाई उद्योग।
 49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
 50 क्लब
 51 हथकरघा(सिल्क की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
 52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
 53 ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
 54 खाण्डसारी।
 55 हथकरघा उद्योग।
 56 शक्ति चालित करघा उद्योग।
 57 छोटा(मिनिअचर) बल्ब एवं कौंच उत्पादों के निर्माण।
 58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
 59 ईट भट्टा उद्योग।
 60 ताला उद्योग के नियोजन में।
 61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
 62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
 63 बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रातिशेध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध क्रिया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
 64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
 65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
 66 एल0पी0जी0वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
 67 टैक्सीज, आटोरिक्षा/टैम्पो एवं ट्रैवलिंग अभिकरण में नियोजन।
 68 केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
 69 गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
 70 विषय संवर्धन(विषय संवर्धन(सेवा शर्त) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
 71 हेयर कटिंग सैलून एवं व्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
 72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
 73 काल सेन्टर/आई0टी0 इण्डस्ट्रीज/टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
 74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हो, में नियोजन।

(मार्कण्डेय शाही)
 श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या386

प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15

दिनांक: 29/09/2025

- 1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मोंगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
- 2 अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ।
- 3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेलwagecell@nic.in के माध्यम से
- 4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0), मुख्यालय, कानपुर।
- 6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- 7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
- 8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(मार्कण्डेय शाही)
 श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

Digitally signed by
 MARKANDEYA SAHI
 Date: 26-09-2025
 13:44:34